राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांकः- पं0नि0 30-82/2021 3151

प्रेषक,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक- 18.8.21

विषयः- पंचायत आम निर्वाचन, 2021, ईवीएम की कमीशनिंग के चरण एवं कमीशनिंग के अवसर पर बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य पद का निर्वाचन M2 मॉडल के ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। चूंकि प्रत्येक पद हेतु मतपत्र विशिष्ट होगा, अतएव ईवीएम के कमीशनिंग के अवसर पर उक्त कार्य के सफलतापूर्वक संपादन हेतु अत्यंत सूक्ष्मता के साथ इसके पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी परिस्थिति में पद विशेष का मतपत्र दूसरे पद हेतु चिन्हित ईवीएम में प्रयुक्त एवं मिश्रित न हो।

निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर ईवीएम की तैयारी में किसी प्रकार की गड़बडी न हो इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर ईवीएम की कमीशनिंग हेतु स्थल का इस प्रकार चयन किया जाए ताकि विभिन्न पंचायतों के लिए ईवीएम की तैयारी का स्थान विभक्त हो। इस हेतु आवश्यक है कि चार या पाँच पंचायत के सभी पदों के ईवीएम की कमीशनिंग हेतु उसी परिसर में अलग-अलग स्थल चिह्नित हो। यह स्थल चिह्नित करने के क्रम में ध्यान रखना है कि ईवीएम की कमीशनिंग का स्थान, कमीशंड अर्थात् तैयार ईवीएम के वितरण हेतु बनाए गए वज्रगृह से सटा हुआ हो। पंचायत विशेष के सभी चार पदों के ईवीएम की कमीशनिंग हेतु पदवार चार अलग-अलग टीम तैयार की जाएगी। ऐसे प्रत्येक टीम में मास्टर ट्रेनर सहित यथासंभव चार कर्मी प्रतिनियुक्त किए जायेगें। इन प्रतिनियुक्त कर्मियों को कमीशनिंग के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यो यथा :- सी.यू. में बैटरी लगाना, अभ्यर्थियों की संख्या सेट करना, बी.यू. में मतपत्र लगाना, बी.यू. का अभ्यर्थी अनुसार स्लाइड स्विच सेट करना, बी.यू. के सभी बटनों की क्रियाशीलता का परीक्षण इत्यादि से संबंधित कार्यो का विभाजन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। विदित हो कि **अनुबंध-1** में बी.यू. और सी.यू. की तैयारी हेतु अपनाए जाने वाले

सभी चरणों का विस्तृत विवरण अंकित है। साथ ही तैयार किए गए बी.यू. एवं सी.यू. में लगाए गए पिंक पेपर सील का विवरण **अनुबंध–2** एवं **अनुबंध–3** में दिए गए प्रारुप के अनुरुप संधारित पंजी में अंकित किया जाएगा।

प्रखण्ड स्तर पर ऐसे चार या पाँच पंचायत के ईवीएम की कमीशनिंग हेतु पृथक-पृथक चिह्नित स्थल के लिए एक-एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्राधिकृत होंगे, जिनकी देखरेख में ईवीएम की कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने पास सभी संबंधित पंचायत के सभी पदों का **प्रपत्र – 9** की अभिप्रमाणित प्रति रखेंगे तथा बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाए जाने के पूर्व इसका मिलान **प्रपत्र– 9** से करेंगे। प्रत्येक सहायक निर्वाची पदाधिकारा के साथ ईवीएम विनिर्माता कंपनी के अभियंता भी संबद्ध किए जाएगें, जिनके मार्गदर्शन में ईवीएम कमीशनिंग का कार्य किया जाएगा। चूँकि ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु ईवीएम की तैयारी प्रत्येक वार्ड के लिए अलग-अलग मतपत्रों के साथ किया जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी वार्ड से सबंधित ईवीएम की कमीशनिंग पर विशेष रुप से ध्यान देंगे।

प्रखण्ड स्तर पर ऐसी ही व्यवस्था सभी शेष पंचायतों के लिए की जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी गतिशील रहकर कमीशनिंग के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे तथा यादृच्छिक रुप से विभिन्न पदों के ईवीएम से जाँच करते हुए यह देखेंगे कि प्ररुप-9 के अनुसार लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरुप संबंधित मतदान केन्द्र/पद का कैंडिडेट सेट हुआ है अथवा नहीं। साथ ही उनके द्वारा संबंधित मतदान केन्द्र के बी.यू. पर उस पद विशेष का मतपत्र ही लगा हुआ है इसकी भी जाँच करेंगे। ईवीएम की कमीशनिंग के पश्चात् अधिष्ठापित वज्रगृह में यथाचिह्नित स्थल पर संबंधित मतदान केन्द्र के बी.यू. एवं सी.यू. को एक साथ बांधकर रखा जाएगा। ईवीएम की कमीशनिंग एवं कमीशन्ड ईवीएम को वज़्रगृह में सुरक्षित संधारण के क्रम में बरती जाने वाली सावधानियों का विवरण **अनुबंध–4** में विस्तार से वर्णित है।

इसप्रकार ऐसे तैयार ईवीएम को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा गश्ती दल दंडाधिकारी (पी.सी.सी.पी.) को निर्धारित तिथि को मतदान हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। गश्ती दल दंडाधिकारी को ईवीएम के साथ निर्धारित संख्या में ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग (बी.यू. और सी.यू दोनों के लिए), स्पेशल टैग, निविदत्त मतपत्र, पंच एवं सरपंच पद का मतपत्र, ईवीएम प्रतिस्थापन की स्थिति में उसके बी.यू. में प्रयुक्त किए जाने हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्रवार/पदवार अतिरिक्त मतपत्र भी दिया जाएगा। इन सामग्रियों से संबंधित मतदान केन्दवार विशेष पैकेट तैयार किया जाएगा तथा गश्ती दल दंडाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्त सामग्रियों की प्राप्ति से संबंधित पंजी **अनुबंध–5** में तैयार की जाएगी। पी.सी.सी.पी. द्वारा प्राप्त ईवीएम एवं मतदान केन्द्र हेतु तैयार विशेष पैकेट को संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय के अनुसार हस्तगत कराया जाएगा।

विदित हो कि मतदान के क्रम में ईवीएम खराब होने की स्थिति में संबंधित मतदान केन्द्र पर ससमय सुरक्षित ईवीएम से खराब ईवीएम को प्रतिस्थापित किया जाना है। इस हेतु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित ईवीएम को रखने हेतु पंचायत स्तर पर **क्लस्टर (Cluster)** स्थापित किया जाएगा। संबंधित क्लस्टर पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षित ईवीएम के साथ पर्याप्त संख्या में कर्मियों का दल प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस दल में प्रखण्ड स्तर पर किए गए ईवीएम की कमीशनिंग के दौरान उक्त पंचायत हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों को यथासंभव रखा जाए।

साथ ही ईवीएम के विनिर्माता कंपनी के अभियंता एवं ईवीएम मास्टर ट्रेनर को भी क्लस्टर स्थल पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। क्लस्टर दल के पदाधिकारी एवं कर्मियों का संपर्क नं0 एवं चिह्नित स्थल का विवरण संबंधित पंचायत के मतदान दल एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। नियंत्रण कक्ष के पास भी क्लस्टर दल के सभी पदाधिकारी/ कर्मी का संपर्क नं0 होना अनिवार्य है। क्लस्टर दल को भी संबंधित पंचायत अधीन सभी मतदान केन्द्रों के मतदान दल, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, संबद्ध सेक्टर पदाधिकारी तथा गश्ती दल दंडाधिकारी का संपर्क संख्या उपलब्ध कराया जाएगा।

मतदान के दौरान पीठासीन पदाधिकारी/पी.सी.सी.पी./सेक्टर पदाधिकारी/ नियंत्रण कक्ष/ निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी आदि से ईवीएम के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर क्लस्टर दल द्वारा उक्त मतदान केन्द्र पर अविलम्ब पहुँचकर संबंधित पीठासीन पदाधिकारी की सहायता से नियमानुसार ईवीएम तैयार कर मतदान हेतु उपलब्ध कराया जाएगा परंतु ईवीएम प्रतिस्थापन के पूर्व यह देख लेना है कि प्रतिस्थापित होने वाला ईवीएम वास्तव में खराब है अथवा संचालन में अनभिज्ञता अथवा लिंक एरर आदि के कारण यह अकार्यरत तो नहीं है। **विदित हो कि बी.यू. खराब होने की स्थिति में केवल बी.यू., सी.यू खराब होने की स्थिति में केवल सी.यू. तथा बी.यू. एवं सी.यू. दोनो खराब होने की स्थिति में बी.यू. एवं सी.यू. दोनों यूनिटों को बदला जाएगा। मात्र सी.यू. प्रतिस्थापित होने की स्थिति में ही प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु एक मत डालकर दिखावटी मतदान (Mock Poll) सम्पन्न कराया जाएगा तथा मॉक पोल के आंकड़ो को क्लियर कर नियमानुसार ईवीएम को सील करते हुए वास्तविक मतदान प्रारंभ किया जाएगा।** ईवीएम बदलने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी की देख-रेख में कमीशनिंग की जाएगी एवं पींक पेपर सील पर उनका हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। यह ध्यान रखना है वास्तविक मतदान के क्रम में खराब हुए सी.यू. में यदि एक भी मत डाला गया हो तो वह भी प्रतिस्थापित ईवीएम के साथ वज्रगृह में रखा जाएगा।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक :- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव।

ज्ञापांक :- पं0नि0 30-82/2021 3151 पटना, दिनांक - 18-8-21

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव।

ईवीएम कमीशनिंग हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

ईवीएम की कमीशनिंग हेतु अनुदेश/ मार्गदर्शन निम्नवत् है : -

1. **ईवीएम कमीशनिंग की सूचना : -** मतदान हेतु तैयार किए जाने वाले ईवीएम (BU & CU) की कमीशनिंग की तिथि, समय व स्थान की सूचना उक्त चारों पदों के अभ्यर्थियों/ उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को लिखित दी जाएगी। यह सूचना नामनिर्देशन वापसी की अंतिम तिथि को 4:00 (चार) बजे के पश्चात् तत्काल दी जाएगी।

2. **मतपत्र की तैयारी : -** ईवीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र का मुद्रण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र - 9) तैयार होने के 48 घंटे के भीतर स्थानीय चिह्नित प्रेस द्वारा व्ययादेश (Indent) के अनुरुप कराया जाना है।

3. **B.U. की तैयारी के चरण (Steps)**

- ⇨ निर्वाची पदाधिकारी B.U. में मतपत्र लगाए जाने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पीछे हस्ताक्षर करेंगे अथवा अपने हस्ताक्षर की अनुकृति लगाएगें।
- ⇨ B.U. के ऊपरी कवर को खोलकर एक्रिलिक स्क्रीन के नीचे मतपत्र लगाना। .
- ⇨ मतपत्र को उचित ढ़ंग से इस प्रकार सीधा लगाया जाना होगा ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और उनका प्रतीक उनके लैंप एवं बटन की सीध में हो तथा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएँ B.U. पर ठीक उनके खानों की सीध में हो।
- ⇨ स्क्रीन को पुनः बंद कर स्क्रिन पर दो दिए गए छिद्रों में धागा डालकर एड्रेस टैग लगाते हुए आर.ओ. अपनी मुहर धागे और एड्रेस टैग पर लगाकर उस सेक्शन को सील करेंगे।
- ⇨ B.U. के स्लाईड स्विच को अभ्यर्थियों की संख्या अनुरुप सेट किया जाएगा। 16 अभ्यर्थी की दशा में स्लाईड स्विच 1 पर, 17 से 32 होने पर 2 पर तथा इसी क्रम में स्लाईड स्विच सेट की जाएगी। एम2 ईवीएम के BU में चार संख्या तक स्लाईड स्विच का क्रमांक अंकित होता है। अर्थात् एक सीयू से अधिकतम 4 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है।
- ⇨ मतपत्र पर अंकित सभी अभ्यर्थी के BU मास्क बटन को खोल दिया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि 10 ही अभ्यर्थी है तो शेष 6 बटन को ढ़ंका जाना होगा।
- ⇨ BU के सबसे निचले भाग में पिंक पेपर सील इस प्रकार लगाया जाना है कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक ढ़क न जाए। पिंक पेपर सील पर निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा BEL/ ECIL के अभियंता हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक चरण में ईवीएम की कमिशनिंग के क्रम में पिंक पेपर सील नये सिरे से लगाना है।
- ⇨ अभ्यर्थी/ उनके प्रतिनिधि को भी पिंक पेपर सील के क्रम संख्या लिखने की अनुमति दी जाएगी।
- ⇨ BU की संख्या एवं पिंक पेपर सील का नंबर संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-02) में संधारित पंजी में अंकित कर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर लेने है।
- ⇨ BU के ऊपरी भाग एवं निचले भाग के छिद्र को धागा से बांधकर एड्रेस टैग लगाना है। इस प्रकार कुल 3 एड्रेस टैग बीयू में लगेंगे।
- ⇨ BU को कैरिंग बॉक्स में रख बॉक्स में भी एक एड्रेस टैग लगाना है।

4. **C.U. की तैयारी के चरण (Steps)**

- ⇨ CU में बैटरी लगाना।
- ⇨ CU के स्विच को देख लेना कि वह सही ढ़ंग से कार्य कर रहा हो।

ईवीएम कमीशनिंग हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

ईवीएम की कमीशनिंग हेतु अनुदेश/ मार्गदर्शन निम्नवत् है : -

1. **ईवीएम कमीशनिंग की सूचना : -** मतदान हेतु तैयार किए जाने वाले ईवीएम (BU & CU) की कमीशनिंग की तिथि, समय व स्थान की सूचना उक्त चारों पदों के अभ्यर्थियों/ उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को लिखित दी जाएगी। यह सूचना नामनिर्देशन वापसी की अंतिम तिथि को 4:00 (चार) बजे के पश्चात् तत्काल दी जाएगी।

2. **मतपत्र की तैयारी : -** ईवीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र का मुद्रण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र - 9) तैयार होने के 48 घंटे के भीतर स्थानीय चिह्नित प्रेस द्वारा व्ययादेश (Indent) के अनुरुप कराया जाना है।

3. **B.U. की तैयारी के चरण (Steps)**

⇨ निर्वाची पदाधिकारी B.U. में मतपत्र लगाए जाने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र के पीछे हस्ताक्षर करेंगे अथवा अपने हस्ताक्षर की अनुकृति लगाएगें।

⇨ B.U. के ऊपरी कवर को खोलकर एक्रिलिक स्क्रीन के नीचे मतपत्र लगाना।

⇨ मतपत्र को उचित ढ़ंग से इस प्रकार सीधा लगाया जाना होगा ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और उनका प्रतीक उनके लैंप एवं बटन की सीध में हो तथा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएँ B.U. पर ठीक उनके खानों की सीध में हो।

⇨ स्क्रीन को पुनः बंद कर स्क्रिन पर दो दिए गए छिद्रों में धागा डालकर एड्रेस टैग लगाते हुए आर.ओ. अपनी मुहर धागे और एड्रेस टैग पर लगाकर उस सेक्शन को सील करेंगे।

⇨ B.U. के स्लाईड स्विच को अभ्यर्थियों की संख्या अनुरुप सेट किया जाएगा। 16 अभ्यर्थी की दशा में स्लाईड स्विच 1 पर, 17 से 32 होने पर 2 पर तथा इसी क्रम में स्लाईड स्विच सेट की जाएगी। एम2 ईवीएम के BU में चार संख्या तक स्लाईड स्विच का क्रमांक अंकित होता है। अर्थात् एक सीयू से अधिकतम 4 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है।

⇨ मतपत्र पर अंकित सभी अभ्यर्थी के BU मास्क बटन को खोल दिया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि 10 ही अभ्यर्थी है तो शेष 6 बटन को ढ़ंका जाना होगा।

⇨ BU के सबसे निचले भाग में पिंक पेपर सील इस प्रकार लगाया जाना है कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक ढ़क न जाए। पिंक पेपर सील पर निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा BEL/ ECIL के अभियंता हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक चरण में ईवीएम की कमिशनिंग के क्रम में पिंक पेपर सील नये सिरे से लगाना है।

⇨ अभ्यर्थी/ उनके प्रतिनिधि को भी पिंक पेपर सील के क्रम संख्या लिखने की अनुमति दी जाएगी।

⇨ BU की संख्या एवं पिंक पेपर सील का नंबर संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-02) में संधारित पंजी में अंकित कर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर लेने है।

⇨ BU के ऊपरी भाग एवं निचले भाग के छिद्र को धागा से बांधकर एड्रेस टैग लगाना है। इस प्रकार कुल 3 एड्रेस टैग बीयू में लगेंगे।

⇨ BU को कैरिंग बॉक्स में रख बॉक्स में भी एक एड्रेस टैग लगाना है।

4. **C.U. की तैयारी के चरण (Steps)**

⇨ CU में बैटरी लगाना।

⇨ CU के स्विच को देख लेना कि वह सही ढ़ंग से कार्य कर रहा हो।

- ⇨ BU को सीयू में जोड़कर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सेट करना।
- ⇨ अंतिम अभ्यर्थी के सामने के ब्लू बटन को दबाकर बीयू को सीयू से जोड़ने के पश्चात् कैंडिडेट सेट किया जाएगा। यदि गलती से बैलेटिंग यूनिट में गलत बटन अर्थात् 10 के स्थान पर 9 या 11 दब जाए तो पुनः कैंडिडेट सेट बटन दबाकर गलत सेटिंग में सुधार किया जा सकता है।
- ⇨ सीयू के Timer ठीक नहीं है तो अभियंता से उसे ठीक करा लेना है। इसी प्रकार यदि स्विच में गड़बड़ी है अथवा ग्रीन पेपर सील लगानेवाला भाग टूटा है तो तुरंत अभियंता के संज्ञान में लाना है।
- ⇨ Result Section के क्लीयर बटन को दबाकर मशीन में रिकार्ड किए गए मत को क्लीयर करना है। यदि Invalid display हो तो पुनः Close - Result - Clear करें।
- ⇨ सभी डाटा क्लियर करने एवं अभ्यर्थियों की संख्या अनुसार सीयू को सेट किए जाने के बाद पॉवर को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तथा बीयू एवं सीयू को अलग कर देना है।
- ⇨ CU को पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा तथा अनुबंध-3 के अनुरुप संधारित पंजी में सूचना अंकित करते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्राप्त करना है।
- ⇨ सीयू के कैंडिडेट सेक्शन को बंद कर इस प्रकार सील किया जाएगा (एड्रेस टैग में) कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति सील तोड़े बिना बैट्री एवं कैंडिडेट सेट सेक्शन के बटन का उपयोग न कर सकें।
- ⇨ एड्रेस टैग पर अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता यदि वे चाहें तो अपनी मुहर लगा सकते है।
- ⇨ सीयू को कैरिंग बॉक्स में डालकर एड्रेस टैग लगा देना है।

5. **मॉक पोल**

- ⇨ सीयू के स्विच को ऑन करके सभी अभ्यर्थी को कम से कम एक मत देकर मॉक पोल किया जाना है। पुनः क्लियर बटन दबाकर डाटा को क्लियर किया जाना है।

6. **विशेष लिफाफा (Special Envelop) तैयार करना**

पी.सी.सी.पी. को उपलब्ध कराने हेतु ईवीएम की कमीशनिंग के वक्त ही मतदान केन्द्रवार एवं पदवार बड़ा लिफाफा तैयार होगा जिसमें संबंधित मतदान केन्द्र का निविदत्त मतपत्र, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील, अतिरिक्त पिंक पेपर सील, अतिरिक्त एड्रेस टैग छोटे-छोटे लिफाफा में रखा होगा। इन सामग्रियों के वितरण से संबंधित पंजी **अनुबंध 04** में दिये गये प्रारुप के अनुसार संधारित किया जाना है।

7. कमीशनिंग के अवसर पर ही मतदान केन्द्रवार एवं पदवार BU तथा CU की आई डी संख्या एव पिंक पेपर सील की संख्या से संबंधित रजिस्टर तैयार किया जाएगा। रजिस्टर का प्रारुप **अनुबंध-3** के अनुरुप होगा।

....

ईवीएम की कमीशनिंग एवं कमीशन्ड ईवीएम को वज्रगृह में सुरक्षित संधारण एवं वितरण के क्रम में बरती जाने वाली सावधनियाँ

A. ईवीएम की तैयारी (कमीशनिंग)

1. ईवीएम की कमीशनिंग पंचायतवार एवं पदवार की जायेगी।
2. प्रत्येक चिह्नित स्थल पर कमीशनिंग की सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण करने हेतु एक-एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी विशेष रुप से प्राधिकृत किया जायेगा।
3. कमीशनिंग के समय संबंधित पदों का प्रपत्र-9 (अभिप्रमाणित प्रति) प्रत्येक प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास होना आवश्यक है, ताकि बीयू (B.U.) में लगाये जाने वाले बैलट पेपर का प्रपत्र 9 से मिलान किया जा सके।

B. तैयार ईवीएम (Commissioned EVM) को वज्रगृह में रखना

1. ईवीएम की कमीशनिंग हेतु चिह्नित स्थल के समीप ही वज्रगृह अधिष्ठापित होगा।
2. वज्रगृह के बाहर संबंधित पंचायतों का नाम एवं मतदान केन्द्र संख्या (...... से ..... तक) संबंधी विवरण अंकित किया जायेगा, ताकि कमीशन्ड ईवीएम को वज्रगृह में रखने एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी (पी.सी.सी.पी) को उपलब्ध कराये जाने के क्रम में किसी प्रकार की गलती की गुंजाईश न रहे।
3. ऐसे चिह्नित वज्रगृह के कमरे में पंचायतवार बड़ा खाना (Square) बनाया जायेगा।
4. पंचायतवार बड़े खाने को मतदान केन्द्रवार मध्यम खाना में विभक्त किया जायेगा, जिसमें मतदान केन्द्र संख्या चिह्नित रहेगा।
5. मतदान केन्द्रवार इस खाना (Square) को ईवीएम से होने वाले 4 (चार) पदों के लिए चार छोटे-छोटे खानों में विभक्त किया जायेगा, जिसमें पदों का संक्षिप्त विवरण यथा, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए GPS, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए GPM, पंचायत समिति सदस्य के लिए PSS तथा जिला परिषद् सदस्य के लिए ZPS अंकित रहेगा।
6. चिह्नित खाना में रखने से पूर्व संबंधित पद के Commissioned BU एवं CU के carrying case के हैंडल को एक साथ बांधना आवश्यक है, ताकि एक पद का BU/CU दूसरे पद के BU/CU के साथ मिश्रित न हो जाये। सुविधा हेतु वज्रगृह का मॉडल रेखाचित्र निम्नवत् हैः-

तैयार ईवीएम (Commissioned EVM) रखने हेतु वज्रगृह का नमूना

पंचायत का नाम .... मतदान केन्द्र संख्या .... से ....तक

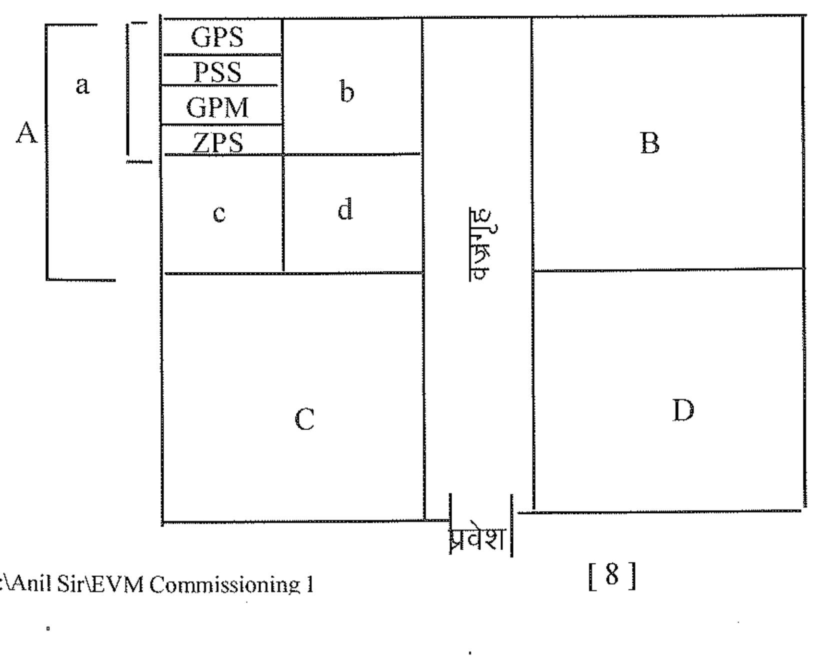

* A/B/C/D - पंचायत हेतु चिह्नित बड़ा खाना।

* a/b/c/d - मतदान केन्द्र हेतु चिह्नित मध्यम खाना।

* GPS/PSS/GPM/ZPS - पदवार चिह्नित छोटा खाना।

अनुबंध–2

पिंक पेपर सील का प्रयोग कर (B.U.) को सीलबंद करने संबंधी रजिस्टर का प्रारुप

1. जिला का नाम ....
2. प्रखण्ड का नाम ....
3. पंचायत का नाम ....
4 पद का नाम ....
5. ईवीएम तैयारी का स्थान ....
6. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि पिंक पेपर सील का प्रयोग करके बैलेटिंग यूनिट को सीलबंद करने का कार्य मेरी उपस्थिति में किया गया है। मैंने बैलेटिंग यूनिटों को सीलबंद करने के बाद पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर किए है तथा मैं बैलेटिंग यूनिटों को सील बंद करने के कार्य से संतुष्ट हूँ।

क्र0 सं0	B.U. की ID संख्या	Pink Paper Seal की संख्या	मतदान केन्द्र सं0 एवं नाम

क्र0 सं0	अभ्यर्थी/प्रतिनिधि का नाम	पद का नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4

अनुबंध–3

ईवीएम की कंट्रोल यूनिट (C.U.) को पिंक पेपर सील से सीलबंद करने संबंधी रजिस्टर का प्रारुप

1. राज्य का नाम ....
2. जिला का नाम ....
3. प्रखण्ड का नाम ....
4. पंचायत का नाम ....
5 पद का नाम ....
6. ईवीएम तैयारी का स्थान ....
7. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंट्रोल यूनिटों को मेरी उपस्थिति में पिंक पेपर·सील से सीलबंद किया गया है। मैंने कंट्रोल यूनिटों को सीलबंद करने के बाद पिंक पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर किए है, और मैं कंट्रोल यूनिटों की सिलिंग से संतुष्ट हूँ।

क्र0 सं0	C.U. की ID संख्या	प्रयुक्त Pink Paper Seal संख्या	मतदान केन्द्र सं0 एवं नाम
1	2	3	4

क्र0 सं0	अभ्यर्थी/प्रतिनिधि का नाम	पद के निर्वाचन से संबद्धता	हस्ताक्षर
1	2	3	4

अनुबंध–5

मतदान केन्द्रवार/पदवार(B.U./C.U.) विभिन्न टैग एवं पेपर सील आदि के वितरण/प्राप्ति से संबंधित पंजी का प्रारुप

जिला का नाम .... प्रखण्ड का नाम ....

क्र0	पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम	पद का नाम	बीयू की संख्या	पिंक पेपर सील सं0	सीयू की सं0	पिंक पेपर सील सं0	पंच एवं सरपंच पद हेतु मतपत्र (निविदत्त मतपत्र सहित) से तक कुल	ईवीएम से होने वाले पदों का निविदत्त मतपत्र से तक कुल	ग्रीन पेपर सील सं0 से तक कुल	सुरक्षित ईवीएम तैयार करने हेतु ईवीएम का मतपत्र से तक कुल	स्पेशल टैग से तक कुल	स्ट्रिप सील सं0 से तक कुल	कुल आपूरित एड्रेस टैग	प्राप्तकर्त्ता पीसीसीपी दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर (पूरा नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोट :–
1. ग्रीन पेपर सील ईवीएम एवं मतपेटिका दोनों में प्रयुक्त होगा।
2. पंच एवं सरपंच पद हेतु दिये जाने वाले मतपत्रों में ही निविदत्त मतपत्र भी सम्मिलित होगा।
3. पंच एवं सरपंच पद के चुनाव हेतु मतपेटिका निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान दल के योगदान/प्रस्थान स्थल पर मतदान केन्द्रों के संबंधित पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।